राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 18/2023 प्रा0पत्र

अनवान

भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नीम्ब सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी सुलियाखेड़ा बली जस्साखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... प्रार्थी

बनाम

1. सवाई सिंह पुत्र स्व. गुलाब सिंह।
2. रोशन सिंह पुत्र स्व. गुलाब सिंह।
3. कमला देवी पत्नि स्व. गुलाब सिंह।
4. प्रेम सिंह पुत्र स्व. खुमान सिंह ।
5. डूंगर सिंह पुत्र स्व. खुमान सिंह।
6. लक्ष्मी देवी पत्नि खुमान सिंह।
7. पूनम सिंह पुत्र स्व. चैन सिंह।
8. भगवान सिंह पुत्र स्व. चैन सिंह।
9. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. चैन सिंह।
10. मधु देवी उर्फ मन्जू देवी पत्नि चैन सिंह

    समस्त जातियान् रावत आयु बालिग निवासी सुलियाखेड़ा बली जस्साखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।
11. जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार , तहसील भीम जिला राजसमंद

..... अप्रार्थीगण

उपस्थिति :—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष कुमार मेहता
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः—29/01/2026

01. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की मौजा बली, पटवार हल्का बली, तहसील भीम में कृषि भूमि स्थित है जिसके आराजी नम्बर 4960 रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 4801 रकबा 0.1457 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 4772, 4773 रकबा 0.0526 है0 व आराजी नम्बर 4722 रकबा 0.0121 एवं आराजी नम्बर 4770 रकबा 0.0162 है0 किस्म गै.मु.चाह, चाही 1, बंझड़ हैक्टर भूमि होकर संयुक्त खाते मे चली आ रही है। प्रार्थी के परिवारजन का सजरा निम्न प्रकार है —

Scanned with OKEN Scanner

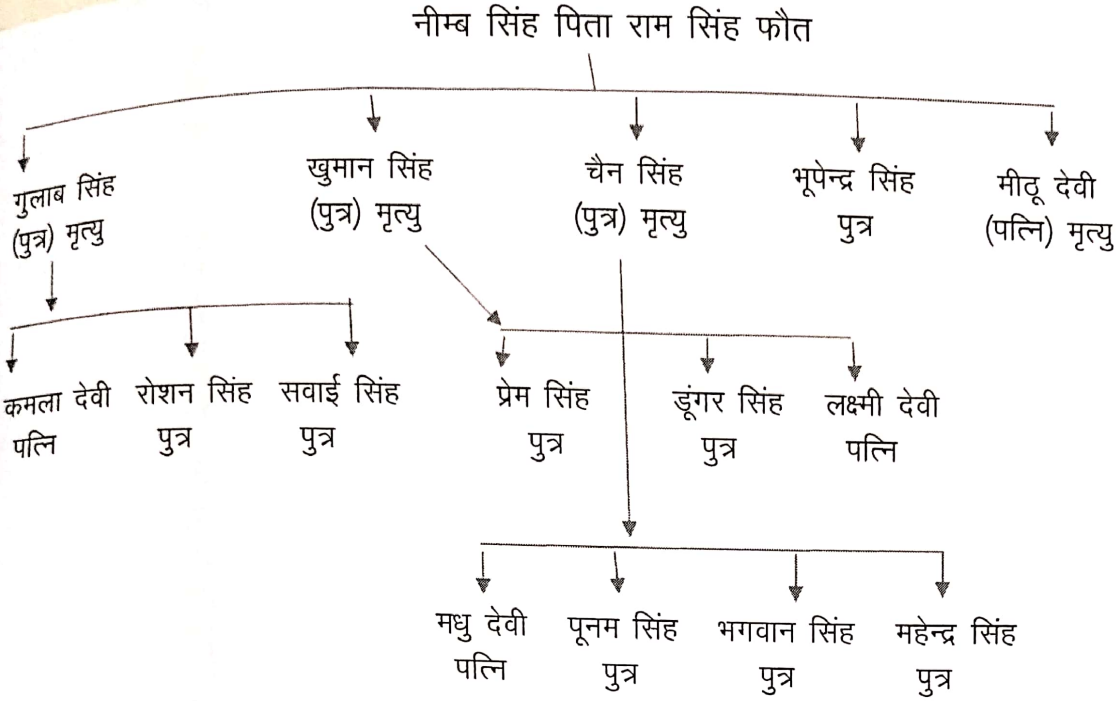

उपरोक्त आराजियात् प्रार्थी के पिता स्व. नीम्ब सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य में थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सजरा बनाते समय मेरा नाम भोपाल सिंह दर्ज करवा दिया गया था जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भूपेन्द्र सिंह है तथा आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेज में भूपेन्द्र सिंह पिता नीम्ब सिंह दर्ज हो रखा है मात्र रिश्तेदारों ने गलती से मेरा नाम भोपालसिंह के नाम पर दर्ज करवा दिया। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी एवं प्रार्थी का नाम विरासत के रूप में नामान्तकरण पारित होने के पश्चात् नाम दर्ज हुई। जिसमें भोपालसिंह के नाम पर दर्ज हुई जबकि सभी दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड भूपेन्द्रसिंह नाम दर्ज है जिससे भोपालसिंह को दुरूस्ती करवाकर भूपेन्द्रसिंह करवाना चाहते है। उक्त जमाबंदी में हमारे हिस्से की जमीन पर पूर्वजों के समय से इनका कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व दखल सरोकार उक्त आराजी पर नही है।

2. उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम भोपाल सिंह व भोज सिंह के स्थान पर भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नीम्ब सिंह दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में जमाबंदी की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी संख्या 01 ता 10 एवं तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 के अधिवक्ता द्वारा नाम शुद्धि पर अनापत्ति दर्ज की गई। अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है। वकील प्रार्थी ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर आराजी नम्बर 4960 रकबा 0.0809 है0 एवं आराजी नम्बर 4801 रकबा 0.1457 है0 एवं आराजी नम्बर 4772, 4773 रकबा 0.0526 है0 व आराजी नम्बर 4722 रकबा 0.0121 एवं आराजी नम्बर 4770 रकबा 0.0162 है0 किस्म गै.मु.चाह, चाही 1, बंझड़ भूमि में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. नीम्ब सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/1/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner